

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
79/2025

दायर दिनांक
24.01.2025


निर्णय दिनांक
29-01-2025

भंवर सिंह पुत्र हरनारायण सिंह राजपूत, निवासी गायत्रीनगर, भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान

— प्रार्थी

बनाम

1. किशना पुत्र देवा दरोगा, निवासी— डेलाणा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
2. खाना पुत्र देवा दरोगा, निवासी डेलाणा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
3. मदन पत्र देवा दरोगा, निवासी बेलाना, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
4. सज्जन देवी पत्नि भगवती प्रसाद व्यास, निवासी डेलाना, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
5. संतोष देवी पुत्र ओमप्रकाश सुथार, निवासी बनकाखेड़ा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
6. कालु पुत्र भगवान जाट, निवासी डसानिया का खेड़ा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
7. गणेश पुत्र भागीरथ जाट, निवासी डसानिया का खेड़ा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
8. देउ पुत्री भगवान जाट, आयु नाबालिग जरिये सरपरस्त माता प्यारी पत्नि भगवान जाट, निवासी डसानिया का खेड़ा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा।
9. दिनेश पुत्र भगवान जाट, आयु नाबालिग जरिये सरपरस्त माता प्यारी पत्नि भगवान जाट, निवासी डसानिया का खेड़ा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. भीमा पुत्री भगवान जाट, आयु नाबालिग जरिये सरपरस्त माता प्यारी पत्नि भगवान जाट, निवासी डसानिया का खेड़ा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा।
11. माया पुत्री भगवान जाट, आयु नाबालिग जरिये सरपरस्त माता प्यारी पत्नि भगवान जाट, निवासी डसानिया का खेड़ा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा।
12. प्यारी पत्नि भगवान जाट, निवासी डसानिया का खेड़ा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
13. भूरा पुत्र भागीरथ जाट, निवासी डसानिया का खेड़ा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

14. शैतान पुत्र भगवान जाट, निवासी—डसानिया का खेड़ा, (पूर्व तहसील कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा।
15. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बडलियास

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्री शिव सिंह चारण उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एकट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डेलाणा पटवार हल्का सवाईपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारों की कृषि भूमि स्थित खसरा संख्या 29/4 रकबा 1.7285 हेक्टर, कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।


राजस्थान अधिका
भीलवाड़ा

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम डेलाणा पटवार हल्का सवाईपुर भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि स्थित खसरा संख्या 29/4 रकबा 1.7285 हेक्टर, कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालन रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चण्डावत)

मुख्य अधिकारी

भीलवाड़ा